न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा कैम्प कोर्ट चाकसू

निष्पादित मय हुक्मनामे

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

T.J. प्र.सं. 47/2017

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

लोक अदालत कैम्प आफ द्वार 2018

पत्रावली सम्बन्ध लोक अदालत कैम्प कोर्ट चाकसू में पेश हुई। अपीलार्थी निरंजन व अमरसिंह मैत्य मेहरे उपस्थित हुए। कैम्प कोर्ट में अमरसिंह को सुना गया पत्रावली एवं नकलों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण की काश्तकारी भूमि 1962 के पूर्व से होना बताया गया है तथा 1962 से पूर्व पूर्वजों के पूर्वजों का काश्तकारी भूमि में काबिज होना अंकित किया गया है। इस आदेश के अपील तत्कालीन जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष धारा 175 के अन्तर्गत निरस्त करना अंकित किया गया है, परन्तु इस प्रकार का कोई आदेश पत्रावली में पेश नहीं किया गया है।

[illegible] ग्रामवासी [illegible] पेश नहीं किया गया है।
1975 के आवंटन नियम के आदेश की अवमानना
43 वर्षों तक नहीं होने का कोई औचित्य
प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना-पत्र के निराकरण में कोई विलम्ब हुआ
न्यायोचित पेश नहीं करने के कारण प्रार्थी
का प्रार्थना-पत्र अस्वीकृति के द्वारा खारिज
होने के कारण किया जाता है। प्रकरण
दौसा के लिए लम्बित रहने का हेतु
[illegible] अधिलेख गठित होने
[illegible] के निराकरण नहीं। निर्णय सम्बन्धित [illegible]
[illegible] के पास नहीं। चावण्डेड़ा के मामले आज में
निर्णय [illegible] कर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दौसा